वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्याः 172/व.ग्रा.वि.शा./2002
देहरादूनः दिनांकः 07 मई, 2002

उप प्रबंधक (वाणिज्य),
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

विषय– सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न में मण्डी शुल्क एवं बिक्रीकर के संबध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक डी–24/ आर.ओ/देहरादून /2001–2002/2987 दिनांक 23–3–2002 का संदर्भ लें। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न पर मण्डी शुल्क संबंधी शासन के आदेश संख्या 33/ मंडी–शुल्क/2002 दिनांक 13–4–2002 के द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में खाद्यान्न पर मण्डी शुल्क मुक्त किया गया है। जहां तक बिक्रीकर का संबंध है सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में बाहरी राज्यों से आयात खाद्यान्न में देय बिक्रीकर राज्य सरकार द्वारा वहन करने की बचनवद्धता रहेगी। अतः उक्त संदर्भ में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के खाद्यान्न निर्गत करने की कार्यवाही की जाय।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 172 /व.ग्रा.वि.शा./2002 तद् दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून.
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
3. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी, देहरादून.
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
5. आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज पौड़ी.

6. बिक्री कर आयुक्त, उत्तरांचल।
7. सचिव, कृषि, उत्तरांचल।
8. सचिव, मंडी परिषद उत्तरांचल।
9. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
10. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल।
11. प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव